तारीख हुक्म 153 / 2023	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2023	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट बैरा पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम बैरा पटवार हल्का बैरा भू.अ.नि. बैरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी / सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान / पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बावत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। जमाबंदी में स्थित खाता संख्या 634 के आराजी खसरा सं. 2348 / 2 कुल किता 01 रकबा 0.3162 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड होने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा–भीलवाड़ा	

म

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 153/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– विवेक जैन पिता हेमन्त कुमार जैन निवासी पारीक डेयरी के पास, माणिक्य नगर, भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1– गिरधारी लाल पिता रामनिवास कानोडिया निवासी बी–62, सूरजमल विहार, दिल्ली 110092 हाल मुकाम आराजी संख्या 2628/2341 ग्राम बैरा तहसील बनेड़ा।

2– साकेत पिता गिरधारी लाल कानोडिया निवासी बी–62, सूरजमल विहार, दिल्ली–110092 हाल मुकाम आराजी संख्या 2628/2341 ग्राम बैंरा तहसील बनेड़ा।

3– पदमा पत्नि संजय बाबेल निवासी सी–172, काशीपुरी, भीलवाड़ा।

4– तहसीलदार बनेड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– के.के.जीनगर

निर्णय

दिनांक :– 21/06/2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बैंरा पटवार हल्का बैंरा भू.अ.नि. बैंरा तहसील बनेड़ा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम बैंरा पटवार हल्का बैंरा भू.अ.नि. बैंरा तहसील बनेड़ा में स्थित स्थित खाता संख्या 634 के आराजी खसरा सं. 2348/2 कुल किता 01 रकबा 0.3162 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

निरमा

// आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारवान होने एवं प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बनेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 2348/2 कुल किता 01 रकबा 0.3162 है० एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य सीमा–रेखा की स्पष्ट जानकारी के लिए नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमा चिह्न रोपित करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उक्त आराजीयात के खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें एवं सभी सम्बंधित खातेदारान को से लिखित में सहमती प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए मुताबिक भू–नक्शा शीट के आधार पर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 2348/2 कुल किता 01 रकबा 0.3162 है० एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा–चिन्ह रोपित करावें, यदि प्रार्थीगण का उपर्युक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हो या किसी न्यायायल का स्थगन आदेश प्रभावशील हो तो उपर्युक्त कार्यवाही नहीं की जावें, उपर्युक्त आदेश के आधार पर भू अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावें, आदेश की पालना अपील की मियाद गुजरने के पश्चात की जावे, तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को केम्प कोर्ट मुख्यालय बैरा में मजमें आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(निरमा बिश्नोई)
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा–भीलवाडा